

# पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

CIN No. L40101DL1989GOI038121

Northern Region-1 Headquarters, Bay No. SCO - 5-10, Sector-16A, Faridabad, Haryana-121002  
Phone No.0129-2666305



संदर्भ:पावरग्रिड/उ.क्षे.1/आर. टी. आई./2090/ 5327

दिनांक:21.02.2022

23

सेवा में,

श्री राजकुमार पुत्र श्री श्याम सिंह  
निवासी ग्राम- मोहनीपुर, तहसील - सरधना  
जिला - मेरठ |

विषय :आपके आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 09.02.2022 के संदर्भ में |

महोदय,

आपके आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 09.02.2022 जो कि पावरग्रिड के मेरठ कार्यालय में दिनांक 11.02.2022 को प्राप्त हुआ के संदर्भ में बिंदुवार जानकारी निम्न है:

बिंदु न.	मांगी गई जानकारी	पावरग्रिड द्वारा प्रदान जानकारी
1	यह है कि प्रार्थी की भूमि किस नियम के तहत एकवायर की जा रही है, विवरण उपलब्ध कराये	पारेषण लाईन बिछाते समय भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता है
2.	यह कि भूमि का किस रेंसो में मूल्यांकन किया जायेगा और खड़ी फसल का कितना मुआवजा दिया जायेगा और किस रेंसो से मूल्यांकन किया जायेगा विवरण उपलब्ध कराये	प्रमुख सचिव उ.प्र.शासन के पत्रांक संख्या 2643/ चौबीस- पी-3 2019 के अनुसार वर्तमान क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त Land Compensation के मद में टावर बेस के निचे सर्किल रेट का 85 प्रतिशत   पारेषण लाईन निर्माण में फाउंडेशन/इरेक्शन / स्ट्रिंगिंग का कार्य करते समय जो भी फसल क्षतिग्रस्त हुई होगी, राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य, उत्पादन की दर एवं स्वामित्व सत्यापन के उपरान्त क्षतिग्रस्त फसल के मापांकन के अनुसार
3.	टावर संख्या 18/0 स्थित ग्राम मोहनीपुर तहसील व जिला मेरठ में कितनी भूमि एकवायर की जायेगी विवरण उपलब्ध कराये	पारेषण लाईन बिछाते समय भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता है

## अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

श्री ए.के. मिश्रा, कार्यकारी निदेशक (उ. क्षे.1) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ. क्षे.1 मुख्यालय,

SCO बे. संख्या 5-10, सेक्टर -16A, फरीदाबाद (हरियाणा)-121002, फोन न. 0129-2666301

धन्यवाद |

भवदीय

[राजेश वी.]

मुख्य महाप्रबंधक (पी. ई.एस. एम/परियोजना)

एवं अधिकृत सी पी आई ओ, पावरग्रिड, उ. क्षे. -1